राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 68 / प्रा0पत्र / 2024

दायरा दिनांक :—23.05.2024

GCMS ID-2024 / 58

1. गोपाल आ0 माधो जाति गुर्जर निवासी सियाणा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. ग्यारसीलाल आ0 माधो जाति गुर्जर निवासी सियाणा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मोहनलाल आ0 माधो जाति गुर्जर निवासी सियाणा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. शंकरलाल आ0 माधो जाति गुर्जर निवासी सियाणा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :— श्री भंवरलाल गुर्जर

वकील अप्रार्थी :— एकतरफा

निर्णय दिनांक :— 25 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 827 / 169 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 828 / 170 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4569 हैक्टेयर वाके ग्राम सियाणा में विस्थित है, प्रार्थी का उक्त भूमि में 1 / 4 हिस्सा दर्ज है, उक्त भूमि प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोपाल पिता माधो दर्ज था, जो जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 तक यथावत दर्ज रहा है, परन्तु उक्त जमाबंदी के बाद राजस्व कर्मियों के द्वारा नाम से छेडछाड कर गोपाल पिता माधो के स्थान पर गेपाल पिता माधो दर्ज कर दिया है। उक्त प्रविष्टी कतई गलत है, जो दुरूस्त होने योग्य है। प्रार्थी के नाम सम्बन्धी अंकन में त्रुटि होने के कारण प्रार्थी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड मे हो रही उक्त त्रूटि को दुरूस्त करवाये। उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी ने तहसीलदार साहब से भी निवेदन किया परन्तु नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया है। भूमि वाके ग्राम सियाणा तहसील हिण्डोली में विस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 827 / 169 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

संख्या 828/170 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4569 हैक्टेयर वाके ग्राम सियाणा के राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज नाम को दुरूस्त किया जावे तथा गेपाल आ0 माधो के स्थान पर गोपाल पिता माधो दर्ज करने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 वाबजूद तामिलों के लगातार अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/787 दिनांक :–20.05.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम सियाणा के खाता संख्या 23 में प्रार्थी का नाम गेपाल पुत्र माधो दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान को उक्त खाता नम्बर में दर्ज गेपाल पुत्र माधो व गोपाल पुत्र माधो एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज गेपाल पुत्र माधो के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम गोपाल पुत्र माधो दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम गोपाल पुत्र माधो है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जमाबंदी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 30, जन–आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र माधो दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम सियाणा पटवार मण्डल आकोदा के खाता संख्या 23 में दर्ज सहखातेदार गेपाल पुत्र माधो के स्थान प्रार्थी का सही नाम गोपाल पुत्र माधो शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 25.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

25/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)